महत्वपूर्ण

संख्या : 5 /- 866/33-2-14-93जी/2004 टी0सी0

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव
उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अध्यक्ष,
जिला पंचायतें,
उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक,
पंचायतीराज विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ ।

3-समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें, उ0प्र0 ।

पंचायतीराज अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 24 जून, 2014**

विषय: जिला पंचायतों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो के लिए दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-8307/33-2-2004-93जी/2004, दिनांक 12.01.2005 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों /तथ्यों का उल्लेख करते हुए तीनों पंचायतीराज संस्थाओं यथा- ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त का निर्धारण किया गया है:-

" प्रदेश की जिला पंचायतों एवं अन्य पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जा रहे है। प्रायः यह देखने में आया है कि जिला पंचायतों द्वारा बहुत छोटे-छोटे निर्माण कार्य ग्राम सभा के अन्दर अथवा मजरे को जोड़ने के लिए किये जाते है, जबकि ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार से अनुदान प्रश्नगत कार्यो को कराये जाने हेतु दिया जाता है, जिससे डुप्लीकेसी होने की सम्भावनाएं बनी रहती है। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि तीनों स्तर की पंचायतें सब्सीडियरिटी के सिद्धान्त के आधार पर कार्यो का चयन करें अर्थात जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरह से किया जा सकता है, वह उसी स्तर पर कराया जाय और ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाय। अतः तीनों पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये जाते है:-

(1) ग्राम पंचायत को जो धनराशि/अनुदान निर्माण कार्यो के लिए दी जाती है, उससे उसी ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य सम्पन्न कराये जाय।

(2) क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय।

shasnadesh.up.nic.in

(3) जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या अधिक क्षेत्र पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यो को सम्पादित करायेंगी।

(4) निर्माण कार्य शुरू कराने से पूर्व नियमानुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतें अपनी-अपनी बैठकों में प्रस्ताव पारित कराकर ही कार्यो का चयन करेगी और मात्र अध्यक्ष या चन्द सदस्यों के विवेक पर मामला नहीं छोड़ा जायेगा''।

2- उक्त के संबंध में शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि ग्राम पंचायतों द्वारा 13वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग तथा अन्य मदों से ग्राम निधि में प्राप्त धनराशि का गांवों में निर्माण कार्य एवं विकास पर नियोजित ढंग से व्यय नहीं किया जा रहा है। यह शिकायतें प्राप्त हो रही है कि कतिपय ग्राम पंचायतों के अन्दर जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराया जाता है लेकिन ग्राम पंचायतों द्वारा इसका निर्माण अपने द्वारा कराया गया दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिया जाता है जो कदापि अनुचित है तथा उक्त शासनादेश दिनांक 12.01.2005 द्वारा निर्धारित किये गये दिशा निर्देश के विपरीत है। यह भी संज्ञान में लाया गया है कि प्रायः तीनों पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निर्धारित किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त का अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस कारण अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की सम्भावना बनी रहती है।

3- उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश दिनांक 12.01.2005 द्वारा तीनों पंचायतीराज संस्थाओं के लिए निर्माण कार्य कराने के संबंध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने/करने का कष्ट करें, ताकि एक-दूसरे के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण न हो सके।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 866 (1)/33-2-14 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त, मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
5- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
अनु सचिव।

shasnadesh.up.nic.in